विलोपित

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क. पुर्नविलोकन/5867/2018/निगरानी/अ.21

जहीरउद्दीन पुत्र श्री वशीरउद्दीन
निवासी– ग्राम गाजीखेडी, तहसील व जिला
विदिशा .... आवेदकगण

श्री सरवन सिंह धाकड़ एड. द्वारा आज दि. 22/9/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 11/10/18 नियत।
22-9-18
क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

(L.S. Dhakad) 22-9-18

बनाम

1– शाहउद्दीन पुत्र गुलामउद्दीन
2– गुलामउद्दीन पुत्र वशीरउद्दीन
3– नजीरउद्दीन पुत्र वशीरउद्दीन
4– [illegible] पुत्र ताजउद्दीन
5– आफताबउद्दीन
6– फैजउद्दीन
7– परवेजउद्दीन पुत्रगण ताजउद्दीन निवासीगण
लुँहांगीमौहल्ला, विदिशा
8– कनीज फातमा निवासी–हांउसिंगवोर्ड के पीछे, हरे मजार के पास भोपाल
9– नफीस फातमा उर्फ चंन्दों पत्नी सैयद अहसानअली निवासी मकबरे वाली हवेली, मिर्धापुर गंजबासौदा
10– लतीफ फातमा उर्फ शाहीन बी पत्नी नईमउद्दीन निवासी– डॉ दुराना के स्कूल के सामने, लटेरी जिला विदिशा
11– अजीज फातमा उर्फ सुरैया बेगम पत्नी मुजम्मिलहुसैन निवासी– पुख्ता मस्जिद के पास, सीहौर ।
12– शबाना बी पत्नी हमीद खॉ निवासी– रामकुण्ड मौहल्ला नरसिंगढ
13– सगीरउद्दीन पुत्र सलीमउद्दीन
14– शकील बी पत्नी शाहीन बी पत्नी सलीमउद्दीन
15– शहाना बी पत्नी सैय्यद साजिदअली
16– सुहना बी पत्नी सलीमउद्दीन
17– सना ना.बा. पुत्री सलीमउद्दीन सरपरस्त मॉ
निवासीगण– लॅुहांगीमौहल्ला, विदिशा
18– फरीदखॅान पुत्र हामिद खॉन(मृत) वारिसान
अ– यासमीन वेवा फरीदखॅान
ब– इलमा पुत्री फरीदखॅान ना.बा.
स– अर्हम पुत्र फरीदखॅान ना.बा.सरपरस्त मॉ यासमीन वेवा फरीदखॅान
19– शरीफ खॉन पुत्र हामिद खॅान निवासी–
निवासीगण– मस्जिद के पास भानपुर भोपाल
20– फराहना बी पत्नी जहीरखान पुत्री हामिद खॅान
21– साजिया बी पत्नी नवेद पुत्री हामिद खॅान

निवासीगण– ग्राम लटेरी, तहसील लटेरी, जिला विदिशा

22– कुल रानू पुत्री हामिद खॉन

23– हामिद खॉन निवासीगण– मस्जिद के पास भानपुर भोपाल

24– शहनाज बी पत्नि नसीम मियां निवासी– पुराना थाना ऐशबाग जगन्नाथ कॉलौनी बॉम्बे बेकरी गली नं. 1 मकान न. 2594 भोपाल

25– शाहिदा बी पत्नी मरहूम अहमद निवासी– [illegible] लाला लाजपतराय कॉलोनी बाग दिलकुशा भोपाल [illegible] अहमद निवासी [illegible] के पास

ऐशबाग भोपाल म.प्र. .... आनावेदकगण

<u>रिव्यू आवेदन पत्र अर्तगत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 न्यायालय माननीय राजस्व मंण्डल म.प्र. ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 1833/एक/2017 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21.08.18 के विरूद्ध रिव्यू प्रस्तुत।</u>

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 5867/विदिशा/2018/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
10–4–2019	आवेदकपक्ष की ओर से अभिभाषक द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह रिव्यु इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21.8.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है । म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :- (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुर्नविलोकन का आधार नहीं हो सकता है । अतः यह पुर्नविलोकन प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	